-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 11.09.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अन्तर्रजनपदीय अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा व चोरी का माल बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 11.09.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी करने वाले दो अन्तर्रजनपदीय अभियुक्तों को अवैध तमंचा व चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम मवई के रहने वाले जयकिशन सिंह ने दिनांक 10.09.2025 को अपने घर में अज्ञात चोरों द्वारा दिनांक 06.09.2025 व 09.09.2025 की देर शाम को चोरी हो जाने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। इस क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त की पहचान करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों को कृषि विश्वविद्यालय पेट्रोल पंप के पास पुलिया से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया तथा उनके कब्जे से अवैध तमंचा ,जिन्दा कारतूस व चोरी का सामान बरामद किया गया।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 स्टेपनी मय टायर
- 01 रिम (ट्रक का)
- 01 मोटर साइकिल (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामकुमार अहिरवार पुत्र घसीटा अहिरवार निवासी ग्योढी थाना खन्ना जनपद महोबा।
2. मूलचन्द्र अहिरवार पुत्र बेटू अहिरवार निवासी अम्बेडकरनगर (गौहारी) थाना कबरई जनपद महोबा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 739/25 धारा 303(2) बीएनएस ,बढौत्तरी धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री राजेश कुमार मौर्य चौकी प्रभारी विश्वविद्यालय
2. हे0का0 सत्येन्द्र कुमार
3. का0 ऋषभ सोनी
4. का0 नवीन